(21)

बिहार सरकार

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

(निबंधन)

आदेश

पटना, दिनांक.............................

संचिका सं0–8बी/आरोप-अरा0नि0-01/2024...1316.../–श्री रामानन्द दास, सेवा निवृत्त प्रधान लिपिक/अभिलेखपाल, द्वारा जिला निबंधन कार्यालय, रोहतास के पदस्थापन अवधि में दि0–16.11.2023 को अपनी पुत्री की शादी में ग्रा0–चंदौरा, पो0–बैना, थाना–काको, जिला–जहानाबाद में हेलीकॉपटर उतारने हेतु जिला प्रशासन, जहानाबाद से अनुमति की मांग की गयी जिसे अस्थायी हेलीपैड का ठोसता प्रमाण पत्र का अभाव, सुबह के समय काफी धुंध रहने एवं अन्य प्रशासनिक कारणों से जिला प्रशासन, जहानाबाद द्वारा अनुमति प्रदान नहीं की गयी। इसके बावजूद भी श्री दास द्वारा हेलीकॉप्टर मंगवा कर गाँव का चक्कर लगाया गया तथा सरकारी सेवा में रहते हुए समतामूलक संग्राम दल के सहयोग से इनके द्वारा हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति नहीं मिलने पर माननीय मुख्यमंत्री, बिहार एवं माननीय उप मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया तथा सरकार के विरूद्ध नारे बाजी की गयी। श्री दास का यह कृत एक सरकारी कर्मी के लिए निर्धारित आचरण के प्रतिकूल है। उक्त कृत्य के लिए जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के पत्रांक–1741 दि0–29.12.2023 द्वारा श्री दास के विरूद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी।

2. तदोपरान्त विभागीय कार्यालय आदेश–2243 दिनांक–06.06.2024 के द्वारा श्री दास के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी एवं जिला अवर निबंधक, जहानाबाद को संचालन पदाधिकारी एवं अवर निबंधक, डेहरी ऑन सोन, रोहतास को प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. संचालन पदाधिकारी, जिला अवर निबंधक, जहानाबाद के पत्रांक–1108 दिनांक–26.11.2024 द्वारा विभागीय कार्यवाही से संबंधित जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें निष्कर्षित किया गया कि श्री रामानन्द दास, सेवा निवृत्त प्रधान लिपिक/अभिलेखपाल, प्रतिनियुक्त अवर निंबंधन कार्यालय, डेहरी ऑन सोन, रोहतास द्वारा अपनी पुत्री की शादी में हेलीकॉप्टर के बुकिंग में आठ लाख रूपये खर्च किया गया जिसकी पूर्व सूचना एवं अनुमति विभागीय स्तर से प्राप्त नहीं किया गया जो सरकारी कर्मी के लिए निर्धारित वित्तीय निदेशों के प्रतिकूल प्रमाणित पायी गयी। जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के अंतिम आदेश निर्गत नहीं किये जाने के बावजूद श्री दास द्वारा हेलीकॉप्टर मंगवाकर गॉव का चक्कर लगवाया गया, जो सरकारी निदेशों का सरासर उल्लंघन प्रमाणित पाया गया है। जिला पदाधिकारी, जहानाबाद द्वारा हेलीकॉप्टर नहीं उतारने का आदेश दिये जाने पर समतामूलक संग्राम दल के सहयोग से राज्य सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तथा स्थानीय प्रशासन का पुतला दहन तथा नारेबाजी करने का आरोप के संबंध में यह देखा जाना आवश्यक प्रतीत होता है कि पुतला दहन एवं नारेबाजी के कार्यक्रम की तिथि को श्री दास अथवा उनके परिवार का कोई सदस्य उक्त कार्यक्रम में सम्मिलित था अथवा नहीं। संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन में श्री दास के विरूद्ध लगाये गये तीन आरोपों में से दो आरोपों को प्रमाणित पाया गया तथा तीसरे आरोप के संदर्भ में कोई संबंधित साक्ष्य उपलब्ध नहीं पाये जाने के कारण आरोप अप्रमाणित पाया गया।

4. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर विभागीय पत्रांक–5287 दिनांक–16.12.2024 द्वारा प्रमाणित आरोपों पर जिला अवर निबंधक, रोहतास के माध्यम से श्री दास से द्वितीय बचाव बयान की मांग की गई। श्री दास द्वारा द्वितीय बचाव बयान उपलब्ध कराया गया जिसकी अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री दास द्वारा

अपने द्वितीय बचाव बयान में केवल उन्ही तथ्यों को पुनः उल्लेखित किया है, जो उन्होंने पूर्व में समर्पित अपने स्पष्टीकरण एवं संचालन पदाधिकारी को समर्पित अपने आवेदन में अंकित किया था। जिसका विचारण व समीक्षा पूर्व में ही किया जा चुका है। उन्होंने अपने द्वितीय बचाव बयान में कोई नया तथ्य अथवा नया साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

5. श्री दास के विरूद्ध गठित आरोप पत्र, तत्संबंधी संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत स्पष्टीकरण, संचालन पदाधिकारी द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में निष्कर्षित प्रमाणित आरोप एवं श्री दास कें द्वितीय बचाव बयान की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री दास के विरूद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित पाते हुए उनके द्वितीय बचाव बयान को अस्वीकृत किया गया।

6. अतएव श्री रामानन्द दास, सेवा निवृत्त प्रधान लिपिक/अभिलेखपाल, जिला निबंधन कार्यालय, रोहतास के विरूद्ध गठित आरोप पत्र के आलोक में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपी कर्मी के द्वितीय बचाव बयान की समीक्षोपरान्त श्री दास के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के आलोक में उनके द्वितीय बचाव बयान को अस्वीकृत करते हुए सरकारी कर्मी के लिए निर्धारित सरकारी आदेशों एवं वित्तीय निदेशों का उल्लंघन करने के प्रमाणित आरोपों के लिये बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम, 43(बी0) के संगत प्रावधानों के तहत उनके पेंशन से 05% (पाँच प्रतिशत) राशि की कटौती 02 (दो) वर्षो के लिए करने का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

7. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(संजय कुमार)
सरकार के उप सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 8बी/आरोप-अरा0नि0-01/2024.......1816

पटना, दिनांकः– 18.03.25

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/समाहर्त्ता –सह–जिला निबंधक, जहानाबाद एवं रोहतास/सहायक निबंधन महानिरीक्षक, पटना प्रमण्डल, पटना/कोषागार पदाधिकारी, रोहतास/जिला अवर निबंधक, जहानाबाद/अवर निबंधक, डेहरी ऑन सोन, रोहतास/प्रशाखा–6/आई0टी0 मैनेजर, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/श्री रामानन्द दास, सेवा निवृत्त प्रधान लिपिक/अभिलेखपाल, पिता–स्व0 देवी लाल दास, ग्रा0+पो0–मोहिउद्दीनपुर, थाना–घोसी, जिला–जहानाबाद, पिन–804420, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/3/2025

सरकार के उप सचिव
बिहार, पटना।